

स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या: 61, दिनांक 23-02-2024

सूरत (गुजरात) में वाहन दुर्घटना के मामले में हुई हत्या की घटना में लगभग 30 वर्षों से फरार/वांछित अभियुक्त राम दयाल पाण्डेय एवं अवैध सम्बन्ध को लेकर हुई महिला की हत्या में लगभग 20 वर्षों से फरार/वांछित अभियुक्त विजय बहादुर चौहान अयोध्या से गिरफ्तार।

दिनांक 23-02-2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 एवं गुजरात पुलिस की संयुक्त टीम को सूरत (गुजरात) में वाहन दुर्घटना के मामले में हुई हत्या की घटना में लगभग 30 वर्षों से फरार / वांछित अभियुक्त राम दयाल पाण्डेय एवं अवैध सम्बन्ध को लेकर हुई महिला की हत्या में लगभग 20 वर्षों से फरार / वांछित अभियुक्त विजय बहादुर चौहान को अयोध्या से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:-

- 1— राम दयाल पाण्डेय पुत्र शिवराम पाण्डेय नि0 भवन नगर, थाना खण्डासा, अयोध्या।
- 2— विजय बहादुर चौहान उर्फ पप्पू चौहान पुत्र राम कुमार चौहान नि0 बड़नपुर, थाना बिकापुर, अयोध्या।

बरामदगी:-

- 1— 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान/समय:-

भवन नगर थाना क्षेत्र खण्डासा, जनपद अयोध्या दिनांक 23-02-2024 समय अपराह्न 07.00 बजे।

वर्ष—1994 में वाहन दुर्घटना के मामले में सामान्य मारपीट के दौरान एक व्यक्ति (राम भाई) की हत्या कर देने के प्रकरण में थाना उमरा, जनपद सूरत में मु0अ0सं0 10 / 1994 धारा 147, 148, 149, 302 भादवि में लगभग 30 वर्षों से फरार अभियुक्त राम दयाल पाण्डेय एवं वर्ष—2004 में थाना क्षेत्र कापुधरा, सूरत में अवैध सम्बन्ध के मामले में हुई एक महिला की हत्या के प्रकरण में थाना कापुधरा, सूरत में मु0अ0सं0 209 / 2004 धारा 302 भादवि में लगभग 20 वर्षों से फरार / वांछित अभियुक्त विजय बहादुर चौहान की गिरफ्तारी हेतु अपराध शाखा, सूरत गुजरात गुजरात पुलिस द्वारा एसटीएफ उत्तर प्रदेश से आवश्यक सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया। जिस पर श्री प्रमेश कुमार शुक्ल, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में एसटीएफ फील्ड इकाई, अयोध्या द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान ज्ञात हुआ कि उपरोक्त अभियोगों में वांछित दोनों अभियुक्त जनपद अयोध्या के थाना क्षेत्र खण्डासा में मौजूद हैं। इस सूचना पर निरीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में एसटीएफ टीम अयोध्या एवं अपराध शाखा सूरत (गुजरात) के सहायक उ0नि0 श्री शैलेश बिहारी की संयुक्त टीम द्वारा लगभग 30 वर्षों से वांछित अभियुक्त राम दयाल पाण्डेय एवं लगभग 20 वर्षों से वांछित अभियुक्त विजय बहादुर चौहान को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त राम दयाल पाण्डेय ने पूछताछ पर बताया कि वर्ष—1994 में नौकरी करने सूरत गया था, वहाँ पर गाड़ी चलाने को लेकर रामू भाई से विवाद हो गया, इसी विवाद में मारपीट की घटना हुई थी जिसमें रामू भाई की मृत्यु हो गयी। इस घटना में कुछ 06 लोग शामिल थे, जिसमें से 05 लोग उड़ीसा के रहने वाले थे। इस घटना के बाद राम दयाल पाण्डेय वहाँ से भागकर अपने गॉव आकर रहने लगा था और तभी से वांछित चल रहा था। वर्ष—2001 में गॉव के ही रहने वाले दिनेश पाण्डेय से उसका विवाद हो गया, जिस पर उसने दिनेश पाण्डेय को गोली मारकर हत्या कर दिया था। इस घटना में राम दयाल को आजीवन कारावास की सजा हुई थी। 11 वर्ष 06 माह जेल में रहने के उपरान्त उच्च न्यायालय से जमानत पर रिहा हुआ था। कुछ समय पूर्व

ही उसके ही गॉव के आलोक पाण्डेय से लड़ई झगड़ा हुआ था जिसके सम्बन्ध में थाना खण्डासा में राम दयाल उसके 02 बेटों एवं 02 अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था।

गिरफ्तार अभियुक्त विजय बहादुर चौहान ने पूछताछ पर बताया कि वह सूरत (गुजरात) में अपने मामा के घर पर रहता था। उसके मामी का किसी के साथ अवैध सम्बन्ध था, यह बात उसके मामा को पता चली तब विजय बहादुर, उसके मामा व एक अन्य (तीनों लोग मिलकर) उस महिला की गला रेतकर हत्या कर दिये थे तथा सिर और शरीर को अलग—अलग जगहों पर फेंक दिये थे। विवेचना के क्रम में सभी का नाम प्रकाश में आया था, तभी से यह फरार चल रहा था।

अभियुक्त राम दयाल पाण्डेय का ज्ञात अपराधिक इतिहास निम्नवत है:-

- 1— मु0अ0सं0 10 / 1994 धारा 147, 148, 149, 302 भादवि थाना उमरा, जनपद सूरत।
- 2— मु0अ0सं0 144 / 2001 धारा 392, 302, 504, 506 भादवि थाना खण्डासा, अयोध्या।
- 3— मु0अ0सं0 23 / 2024 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि थाना खण्डासा, अयोध्या।

अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना खण्डासा, अयोध्या में दाखिल करते हुये मात्र न्यायालय अयोध्या के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त करने की विधिक कार्यवाही तथा मामले की समस्त अग्रिम कार्यवाही अपराध शाखा सूरत (गुजरात) द्वारा की जायेगी।